



Skill Development and Industrial Training Department  
Haryana, Chandigarh.  
Phone: 0172-2563005, E-mail: aaa.itiharyana@gmail.com

Issued through Email only

सेवा में,

1. प्रधानाचार्य/वर्ग अनुदेशक इंचार्ज,  
सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हरियाणा राज्य में।
2. प्रधानाचार्य/वर्ग अनुदेशक इंचार्ज,  
सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला) हरियाणा राज्य में।

यादि कमाकः. AP-3/NAPS/Govt.ITI Apprentices/2017/1168

दिनांक:- 13-11-2017

विषय:- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को शिक्षुता अधिनियम-1961 के तहत रजिस्टर करने एवं शिक्षु लगाने बारे।

\*\*\*\*

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

सूचित किया जाता है कि हरियाणा सरकार द्वारा सरकार के अधीन सभी विभागों, बोर्ड, कॉर्पोरेशन आदि में शिक्षुता अधिनियम-1961 के तहत रजिस्ट्रेशन कर शिक्षु लगाने का निर्णय लिया गया है। इसके दृष्टिगत आपको निर्देश दिए जाते हैं कि आप अपने संस्थान को अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें तथा स्टैनोग्राफी अंग्रेजी तथा कोपा व्यवसाय के तहत शिक्षुता प्रशिक्षण की सीटें सृजित कर एवं इनके प्रति आई0टी0आई0 पास उम्मीदवारों को पोर्टल के माध्यम से, विभाग द्वारा सभी विभागों के लिए तय कार्यक्रम अनुसार ही लगाएं। शिक्षु लगाते समय इस नियम का ध्यान रखा जाए कि लगाए गए शिक्षुओं को प्रशिक्षण देने के लिए उचित प्रशिक्षक उपलब्ध हों। स्टैनोग्राफी हिंदी का व्यवसाय शिक्षुता प्रशिक्षण में शामिल होने पर, इस व्यवसाय के शिक्षु लगाने की अनुमति बाद में दी जाएगी।

उपरोक्त की दृढ़ता से पालना की जाए।

संजिव शर्मा  
13.11.2017

उप शिक्षुता सलाहकार

कृते: निदेशक, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।

C.C.:

- PA /DSD&IT
- Nodal Officer IT for uploading on website.